Ll.b.
2semester
Legal history.

E

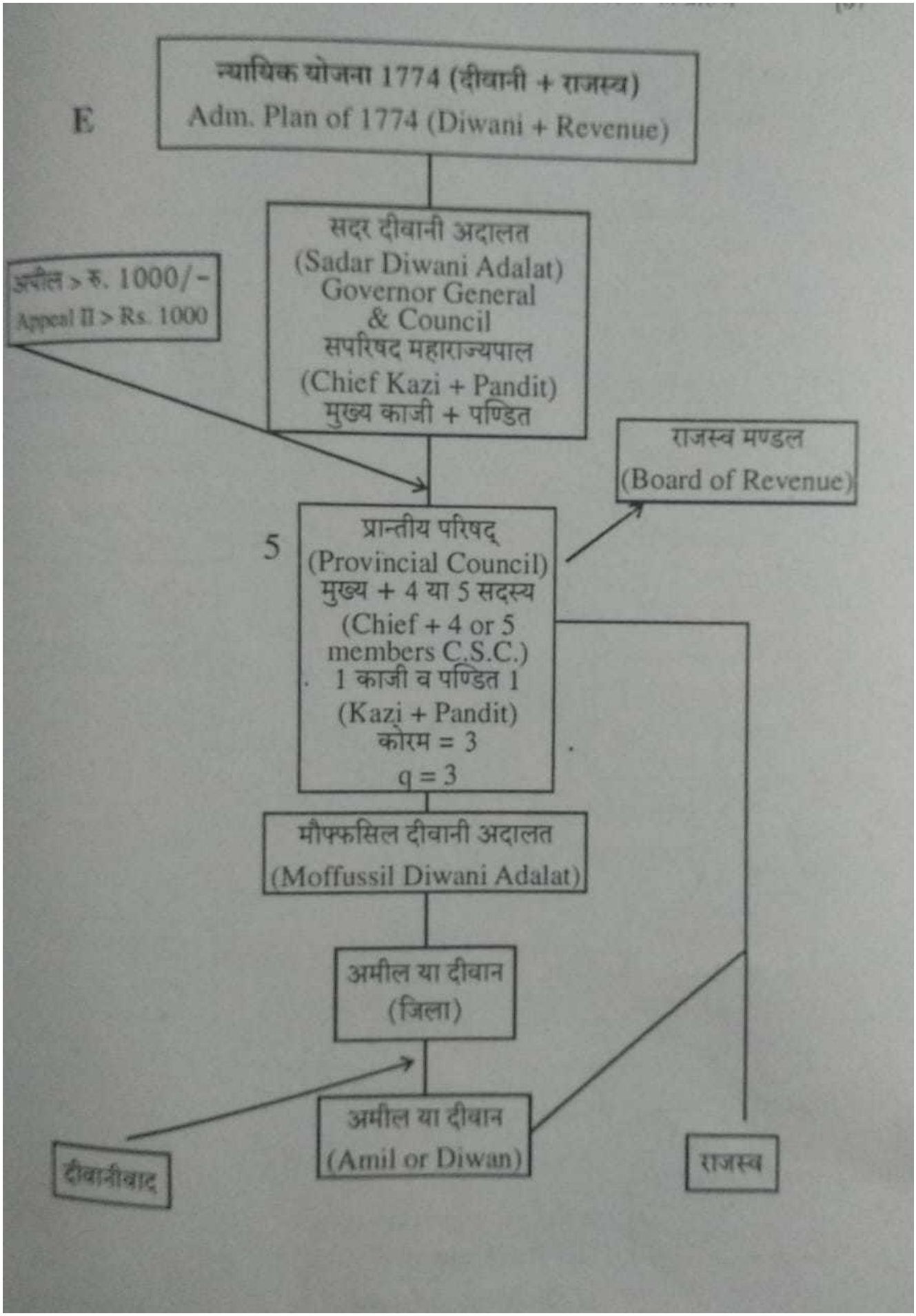

न्यायिक योजना 1774 (दीवानी + राजस्व)
Adm. Plan of 1774 (Diwani + Revenue)
अपील > रु. 1000/-
Appeal II > Rs. 1000
सदर दीवानी अदालत
(Sadar Diwani Adalat)
Governor General
& Council
सपरिषद महाराज्यपाल
(Chief Kazi + Pandit)
मुख्य काजी + पण्डित
राजस्व मण्डल
(Board of Revenue)
5
प्रान्तीय परिषद्
(Provincial Council)
मुख्य + 4 या 5 सदस्य
(Chief + 4 or 5
members C.S.C.)
1 काजी व पण्डित 1
(Kazi + Pandit)
कोरम = 3
q = 3
मौफ्फसिल दीवानी अदालत
(Moffussil Diwani Adalat)
अमील या दीवान
(जिला)
अमील या दीवान
(Amil or Diwan)
दीवानीवाद
राजस्व

1774 की योजना की समालोचना

यह योजना 1772 की व्यवस्था के दोषों के निराकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी परन्तु यह अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाई। परन्तु फिर भी इसमें कुछ गुण मौजूद थे।

गुण—

(1) कलेक्टर को जिलों से हटाकर एक भारतीय अधिकारी दीवान की नियुक्ति की गई। न्यायिक प्रशासन भारतीय के नियन्त्रण में आ गया। दीवान मौफ्फसिल दीवानी अदालत का न्यायाधीश होता था।

(2) प्रान्तीय परिषदों न्यायालय की स्थापना से सदर दीवानी अदालत का कार्यभार कम हो गया। सदर दीवानी अदालत में सुनी जाने वाली अपीलों की संख्या कम हो गई क्योंकि 1000 रु. तक के मूल्यांकन के वादों में प्रान्तीय परिषद का निर्णय अन्तिम होता था। 1772 की योजना में मौफ्फसिल दीवानी अदालत से 500 रु. से ज्यादा के मूल्यांकन के वादों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी।

दोष—

वारेन हैस्टिंग्ज की यह योजना उसकी 1772 की योजना के आधारभूत दोषों को दूर नहीं कर पाई।

(1) प्रान्तीय परिषदों को अत्यधिक अधिकार प्रदान कर दिये गये।

(2) प्रान्तीय परिषदों द्वारा राजस्व वसूल करने का कार्य तथा न्यायिक प्रशासन का कार्य भी किया जाता था यह नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धान्तों के विरुद्ध था क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादती करता है वही न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

(3) न्यायिक एवं राजस्व वसूली के कार्यों का एकीकरण का दोष 1772 की योजना की तरह ही रखा गया जिससे प्रान्तीय परिषदें राजस्व वसूली पर अपना ध्यान ज्यादा केन्द्रित करती थी। जिससे न्याय-प्रशासन के कार्य की उपेक्षा होती थी। (पटना वाद में यह दोष स्पष्ट हो गया था।)

(4) बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दीवानी क्षेत्र के लिये पांच प्रान्तीय परिषद स्थापित की गई थी यह संख्या कम थी।

(5) प्रान्तीय परिषद पर कार्य का भार अधिक हो गया था उसे जिलों की राजस्व वसूली पर नियन्त्रण रखना होता था साथ ही जिला मुख्यालय के राजस्व की वसूली भी करती थी। प्रान्त का न्याय प्रशासन भी उसके द्वारा किया जाता था। जिसमें मौलिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार थे।

(6) कलेक्टरों की जगह दीवानों या अमीनों की नियुक्ति का भी कोई विशेष लाभ नहीं हो सका।

(7) मौफ्फसिल दीवानी अदालत का न्यायाधीश एक भारतीय था इसलिये इस न्यायालय के निर्णीत वादों के विरुद्ध बिना किसी मूल्यांकन के अपील प्रान्तीय परिषद (न्यायालय) में की जा सकती थी। 1772 की योजना में 500 रु. तक के मूल्य के वादों का निर्णय अन्तिम होता था।

यह व्यवस्था सन् 1780 तक चलती रही। सन् 1780 में वारेन हैस्टिंग्ज ने इसमें आधारभूत परिवर्तन किये।

सन् 1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम द्वारा स्थापित की गई सर्वोच्च परिषद के सदस्य वारेन हैस्टिंग्ज के विरोधी थे। जिससे उसके द्वारा बनाई गई योजना को इन सदस्यों द्वारा बहुमत से विफल कर दिया जाता था। 1780 तक कुछ सदस्य वापस इंग्लैण्ड लौट चुके थे। जिससे परिषद का बहुमत वारेन हैस्टिंग्ज को प्राप्त हो गया था। वारेन हैस्टिंग्ज जिस प्रकार के सुधार चाहता था उसका अवसर उसे उसके कार्यकाल के अन्तिम चरण में ही प्राप्त हो सका। पटनावाद में प्रान्तीय परिषदों के न्याय प्रशासन के कार्य पर बहुत आलोचना हुई थी इसीलिये वारेन हैस्टिंग्ज ने प्रान्तीय परिषदों के न्यायिक अधिकार समाप्त कर 1780-81 की योजना लागू की।